



मानवता परिवार

आपका सहयोग, परिवार का सहारा

पत्रांक- MP/DO-18/2024-25

दिनांक- 04/10/2025

अवैध / अवैधानिक सदस्यता पत्र

श्री ऋषि कुमार जी

मानवता परिवार आईडी-MP0002153, नाम -श्री ऋषि कुमार ,मानवता परिवार में रजिस्ट्रेशन का दिनांक-12/07/2025 निवासी- परादान , सेलवन ,फतेहपुर का क्रिटिकल इलनेस (किडनी ट्रांसप्लांट) का आवेदन दिनांक 28/09/2025 को प्राप्त हुआ है।

श्री ऋषि कुमार जी द्वारा क्रिटिकल इलनेस प्रारंभ होने का दिनांक 08/08/2025 दर्शाया गया है। जिसके अनुसार रजिस्ट्रेशन करने और क्रिटिकल इलनेस होने के दिनांक तक 26 दिन हो रहे हैं।

मानवता परिवार में रजिस्ट्रेशन के अनुसार श्री ऋषि कुमार जी 26 दिन मानवता परिवार से जुड़े रहे। गंभीर बीमारी दिनांक 08/08/2025 के अनुसार श्री ऋषि कुमार जी सहयोग का लॉकिंग पीरियड 365 दिन पूरा नहीं हो पाया।

मानवता परिवार के नियमावली की भाग संख्या Q" गंभीर बीमारी संबंधी नियम" के नियम – (1-03) के तहत "मानवता परिवार में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत एक वर्ष (365 दिन का) लॉक इन पीरियड रहेगा। श्री ऋषि कुमार जी का मानवता परिवार के पदाधिकारी संस्था की नियमावली से बंधे होने के कारण सहयोग करने में असमर्थ हैं।

प्रदेश प्रभारी -मानवता परिवार
विनोद कुमार चक्रवर्ती